न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2022/13

प्रार्थना पत्र संख्या 27 / 2022 तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

...........प्रार्थी

बनाम

1. मुरारी पुत्र हंसराज मीना निवासी पीलवा नदी, तह0 मलारना डूंगर

..........अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 08.04.2026

तहसीलदार मलारना डूंगर ने यह प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम के आवंटन नियम 1970 (कृषि प्रयोजनार्थ) के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा मुरारी पुत्र हंसराज मीना निवासी पीलवा नदी तह0 मलारना डूंगर को आराजी ख0नं0 1119 किस्म बारानी 1 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी तहसील मलारना डूंगर में आवंटन आदेश 26.05.2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.25 है0 पर भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का बालेर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 1119 रकबा 0.25 है0 पर भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का बालेर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का [illegible]शुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंट[illegible] आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु नि[illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी के आदिनांक तक भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी मुरारी पुत्र हंसराज मीना निवासी पीलवा नदी तह0 मलारना डूंगर को आराजी ख0 नम्बर 1119 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीलवा नदी के आराजी खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पीलवा नदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:23 IST
Reason: SelfAttested